

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, हापुड़ वन प्रभाग, हापुड़।

Phone-0122-2300150 Fax-0122-2300150 E-mail-dfohapur@gmail.com

पत्रांक 1861/14-1, दिनांक, हापुड़, 09 दिसम्बर, 2022

सेवा में,

क्षेत्रीय वनाधिकारी,
गढमुक्तेश्वर।

विषय:- Construction of Mahadev Picnic Spot for Eco-Tourism purpose b/w Ch. 88+650 to 88+750, Khasra No. 2531 of NH-09 R.H.S in Village- Garh Banger, Tehsil- Garhmukteswar, District Hapur


संदर्भ:- नोडल अधिकारी द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव संख्या- FP/UP/Approach/150358/2021


उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि Construction of Mahadev Picnic Spot for Eco-Tourism purpose b/w Ch. 88+650 to 88+750, Khasra No. 2531 of NH-09 R.H.S in Village- Garh Banger, Tehsil- Garhmukteswar, District Hapur में पिकनिक स्पॉट स्थापित कराये जाने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने के प्रस्ताव पर अनापत्ति चाही है। अतः आप विषयांकित प्रकरण में बाधक वृक्षों के पातन/भूमि उपयोग के सम्बन्ध में Mahadev Picnic Spot के प्रतिनिधि के साथ स्थल का संयुक्त निरीक्षण दिनांक 15.12.2022 तक करके निम्न बिन्दुओं पर जाँच कर निम्न बिन्दुओं पर आख्या इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

1. क्या प्रश्नगत प्रकरण में वनभूमि का वनेत्तर प्रयोग निहित है?
2. यदि प्रश्नगत प्रकरण में संरक्षित/आरक्षित भूमि का प्रयोग किया जायेगा तो संरक्षित/आरक्षित भूमि का क्षेत्रफल (लम्बाई चौड़ाई सहित) पूर्ण विवरण सहित प्रस्तुत करें।
3. क्या प्रश्नगत प्रकरण में वृक्षों का पातन निहित है? यदि हाँ तो प्रजातिवार, व्यासवर्गवार एवं मूल्यांकन सूची प्रस्तुत करें।
4. क्या प्रश्नगत प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम-1980 के प्राविधान लागू होंगे।
5. हरियाली का घनत्व क्या है।
6. क्या प्रश्नगत प्रकरण में उपयोग की जाने वाली भूमि/मार्ग संरक्षित/आरक्षित है? यदि हाँ है तो क्षतिपूरक वनीकरण योजना एवं क्षतिपूरक वनीकरण कराये जाने वाले स्थल का मानचित्र (नक्शा) भी प्रस्तुत करें।
7. क्या प्रश्नगत प्रकरण में उक्तानुसार वन भूमि का प्रयोग निहित है, तो प्रश्नगत प्रकरण में भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव बनाकर/तैयार कर इस कार्यालय में उपलब्ध कराये।
8. प्रश्नगत प्रकरण में स्थलीय नजरी नक्शा भी उपलब्ध कराये।
9. संयुक्त निरीक्षण के समय उपस्थित सम्बन्धित समस्त अधिकारी/कर्मचारियों के संयुक्त रिपोर्ट में हस्ताक्षर पदनाम सहित हो।
10. उक्त के अतिरिक्त अन्य कोई विवरण/सूचना हो उसे भी अवगत कराया जायें।
11. वृक्षों के स्वामित्व की स्थिति को अवगत कराते हुये वृक्षों का मूल्यांकन व प्रजातिवार गणना कर सूची प्रस्तुत करें।
12. सम्बन्धित मार्ग पर विगत 05 वर्षों में किये गये वृक्षारोपण का विवरण दें।
13. मार्ग की पटरी संरक्षित न होने का प्रमाण पत्र संलग्न किये जायें।
14. मार्ग पटरी में 01 किमी० की दूरी पर स्थित पेट्रोल पम्प का विवरण प्रस्तुत करें।
15. क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, हापुड़ की अनापत्ति प्रस्तुत करें।
16. प्रश्नगत क्षेत्र के 01 किमी० की परिधि में कोई वन्य जीव विहार न होने का प्रमाण पत्र।
17. जी०पी०एस० रीडिंग के अनुसार स्थल का गुगल मानचित्र (नक्शा) प्रस्तुत करें।
18. मार्ग संरक्षित है अथवा नहीं? सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न करें।
- 19.

पत्रांक : 1861 /14-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि:- Mahadev Picnic Spot, Khasra No. 2531 of NH-09 R.H.S in Village- Garh Banger, Tehsil- Garhmukteswar, District Hapur को सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु प्रेषित।


प्रभागीय वनाधिकारी,
हापुड़ वन प्रभाग, हापुड़।


प्रभागीय वनाधिकारी,
हापुड़ वन प्रभाग, हापुड़।